तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) उमेदसिंह बनाम ठकारी [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज पत्थरगढी मु.नं. - 22/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
25-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पीठा[illegible] [illegible]री दौरे/अन्य कार्य [illegible] में है। पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु दिनांक 27-10-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27-10-23	पत्रावली पेश [illegible] उभय [illegible] दौरे/ [illegible] है। [illegible] में दिनांक 3-11-23 [illegible] हेतु [illegible] पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3-11-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान [illegible] दौरे/ [illegible] पीठा[illegible] अधिकारी है। प[illegible] [illegible]ग में [illegible] आदि कार्यवाही हेतु दिनांक 22-12-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान [illegible]। पीठासीन अधिकारी दौरे/ [illegible] है। [illegible] मीटिंग में [illegible] हेतु दिनांक 26-12-23 [illegible]। (हस्ताक्षर)	
26-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान [illegible] पीठासीन अधिकारी दौरे/ [illegible] है। [illegible] मीटिंग में [illegible] अंतिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28-12-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28.12.2023	पत्रावली पेश हुई । वकील [illegible] उपस्थित । वकील अप्राार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.09.2023 को ज[illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है । जिसकी नकल प्रार्थीगण [illegible]धिवक्ता को पूर्व में दिलाई जा चुकी है । परन्तु आदेशिका जबाब [illegible]र्थना पत्र में ही चली आ रही है । जिसको दुरस्त किया जाता है । जबाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे । वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण पत्थरगढी कां होने व अप्रार्थी संख्या 1 कां जबाब पेश हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

उमेद सिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में	हुक्म
	पत्थरगढ़ी प्र. नं. — 98/2023		
	की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.01.02 13:01:04 IST Reason: SelfAttested Rathore 28/12/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
98 / 2023	2023 / 804	04.07.2023	28.12.2023

उनवान प्रकरण

1. उम्मेदसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति– राजपूत
2. किशनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति– राजपूत
3. चन्दा पुत्री सायरसिंह जाति– राजपूत
4. रूपकंवर पत्नि स्व. सायरसिंह जाति– राजपूत
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र सायरसिंह जाति– राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

अप्रार्थीगण

3. मोनालीसा पुत्री सायरसिंह जाति– राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

तरतीबि अप्रार्थीया

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:04 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : –

श्री विक्रम सिंह बाकीवत एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

श्री रामवतार सैनी द्वितीय एड0 अप्रार्थी संख्या 1 अभिभाषक।

28/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
(अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1789 रकबा 2.08है0 अवस्थित तन ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है । जिसके प्रार्थीगण एवं तरतीबि अप्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर /अप्रार्थी संख्या 2 के आदेश क्रमांक/एल. आर./ 71 दिनांक 16.06.2022 की पालना में पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा विधिवत रूपेण दिनांक 29.06.2022 को किया जा चुका है । फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है । अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पूर्वी दिशा का पडौसी काश्तकार है । जिसका प्रार्थीगण की उक्त भूमि से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई कानूनी अधिकार या संबंध नही है । प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर पत्थरगढी /सीमाज्ञान के अभाव में आये दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है तथा हमेशा काश्त के समय उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने का नाजायज एवं अवैध फायादा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाती है । इसलिये उक्त अप्रार्थी संख्या 1 जो कि पडौसी काश्तकार है से विवाद के स्थाई निदान तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिये उक्त भूमि की पत्थगढी करवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है । इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है । प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना.पत्र पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1789 रकबा 2.08है0 स्थित ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.06.2022 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलादार श्रीमाधोपुर को प्रदान करे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:04 IST
Reason: SelfAttested

28/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामवतार सैनी द्वितीय एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामवतार सैनी द्वितीय ने जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने गलत व मनघड़ंत प्रार्थना पत्र पेश किया है । वास्तविकता यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी ने अपनी भूमियों के मध्य से 30 फुट का रास्ता सामूहिक रूप से निकाला था । प्रार्थी काफी चालक किस्म का व्यक्ति है । राजस्व कर्मचारियों से साज कर अप्रार्थी की भूमि में से 15 फुट का रास्ता राजस्व रिकोर्ड में अंकित करवा दिया तथा अपनी भूमि में से शेष 15 फुट का रास्ता की भूमि को हडप करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अप्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान नही किया गया है । प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण पत्थरगढी का होने व अप्रार्थी संख्या 1 का जबाब पेश हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1789 रकबा 2.08है0 की खातेदारी प्रार्थीगण व तरतीबि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड होना प्रकट है । जिसका सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/एल. आर./ 71 दिनांक 16.06.2022 की अनुपालना में पटवार ह्ल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा दिनांक 29.06.2022 को किया जाना प्रकट होता है । फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में पेश है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 1 का कथन उक्त वादग्रस्त भूमि में 30 फुट चौडाई रास्ता होने के संबंध में है, उसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है , जिससे वादग्रस्त भूमि में 30 फुट चौडाई का रास्ता होना प्रकट होता हो । इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 के रास्ते के संबंध में कोई विधिक अधिकार है , तो उसके संबंध में अप्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है । पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में रास्ता संबंधी तथ्यों व अधिकारों का निर्धारण कानूनन नही किया जा सकता है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:04 IST
Reason: SelfAttested

28/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है ।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 29.06.2022 को किए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1789 रकबा 2.08है0 अवंस्थित तन ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (नवीन जिला नीमकाथाना) राज0 की पत्थरगढी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढी फीस भू0अ0निरीक्षक की फीस 900रूपये एवं दो पटवारियों की फीस 600रूपये प्रति पटवारी की दर से 1200रूपये कुल 2100रूपये जरिये चालान राज्य कोष में जमा की जावे तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 29.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही हो तो) पत्थरगढी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:04 IST
Reason: SelfAttested

28/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी